# न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/04/2021

1. आशा देवी पत्नी स्व0 श्री पप्पू
2. लक्की पुत्र स्व0 श्री पप्पू संरक्षक सरपरस्त माता आशा देवी
3. संजय पुत्र स्व0 श्री पप्पू संरक्षक सरपरस्त माता आशा देवी

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. किरण पुत्री पप्पू
2. नीतू पुत्री पप्पू
3. रजनी पुत्री पप्पू (नाम हजफ)
4. गौरीशंकर पुत्र भींवा
5. ज्याना पत्नी भींवा
6. नन्दकिशोर पुत्र भींवा
7. रूपा पुत्र महादेव (मृतक)

7/1 प्रभाती लाल पुत्र रूपा

7/2 लालाराम पुत्र रूपा

7/3 सीताराम पुत्र रूपा

7/4 राधेश्याम पुत्र रूपा

7/6 केसर देवी पत्नी रूपा

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

7/7 गुलाब देवी पुत्री रूपा पत्नी ओमप्रकाश जाति रैगर निवासी ग्राम मदरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

7/8 मीरा देवी पुत्री रूपा पत्नी गोपाल जाति रैगर निवासी प्रताप नगर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

8. सुशीला पुत्री भींवा पत्नी बिरदीचन्द

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

9. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

**दावा बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्ग धारा—88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**निर्णय** **दिनांक : 19.04.2023**

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि राजस्व ग्राम दहमीकलां पटवार क्षेत्र दहमीकलां, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठिकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान स्थित आराजी खाता संख्या नया 180 व पुराना 159 के खसरा नंबर 1124 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1125 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1126 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1134 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1140 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1141 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1143 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 1144 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1145 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 1146 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 1162 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1163 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 1164 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1165 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 1.92 हैक्टेयर स्थित है, जो इस वाद में विवादग्रस्त आराजी हैं। जिसे इस वाद पत्र में आगे विवादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। राजस्व ग्राम दहमीकलां, पटवार क्षेत्र दहमीकलां, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठिकरिया तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान स्थित आराजी खाता संख्या नया 180 व पुराना 159 के खसरा नंबरान् कुल किता 14 कुल रकबा 1.92 हैक्टेयर भूमि में वादीया संख्या 1 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 2 व 3 का प्रत्येक का हिस्सा 1/60—1/60 भाग की खातेदारी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का हिस्सा 1/60 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/8, प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा 1/40 की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित हैं, जो अपने—अपने भाग पर काबिज काश्त करते हुए लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण एवं इसके साथ आये भू—माफिया लोगो ने दिनांक 30.12.2020 को विवादित आराजी के बिना विधिक तकासमा विभाजन के ही नाम जोख कर पत्थर की ट्रोली निर्माण बाबत् लेकर आया। जिस पर वादीगण ने निर्माण कार्य से पहले तहसील चलकर सहमति से तकासमा करने की बात कही, जिस पर प्रतिवादीगण भडक गये और एलानिया धमकी दी कि हम विवादित आराजी के सबसे अच्छे भाग पर पुख्ता

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

निर्माण कर लेगें और काबिज हो जायेगें। जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में मनबट के आधार पर वर्गीकरण करके काश्त कर रहे हैं। जिस पर दिनांक 30.12.2020 को तो प्रतिवादीगण व इसके साथ आये भू–माफिया लोग चले गये लेकिन बार–बार विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। जिससे वादकारण उत्पन्न हुआ तथा वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ। अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत् तकासमा का डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ग्राम दहमीकलां पटवार क्षेत्र दहमीकलां, भू–अभिलेख निरीक्षे क्षेत्र ठिकरिया तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान स्थित आराजी खाता संख्या नया 180 व पुराना 159 के खसरा नंबर 1124 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1125 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1126 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1134 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1140 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1141 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1143 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 1144 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1145 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 1146 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 1162 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1163 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 1164 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1165 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 1.92 हैक्टेयर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स (सरस नरस) के अनुसार विधिक विभाजन किया जाकर खाता व नक्शा व लगान पृथक पृथक कायम किया जावें। वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल नही करें, कोई खाम या पुख्ता निर्माण नही करें, उक्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन से करवायें, बैचान हस्तान्तरण नही करें मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में दस्तावेज़ात सूची के साथ हाल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 8 व 9 की तामील जरिये रजिस्टर्ड एडी करवाने के उपरांत भी प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे।

प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित है कि वादीगण ने वादग्रस्त खसरा नंबरान् की भूमि से संबंधित पक्षकारों के वास्तविक हिस्से को सही रूप से अंकित नही किया है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 5 ने वादग्रस्त खसरा नंबरान की भूमि में अपने हिस्से को पंजीकृत हक–त्याग पत्र दिनांक 24.09.2020 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 4 व 6 के पक्ष में हक–त्याग कर दिया है, जिसके संबंध में राजस्व अभिलेखों के अन्तर्गत नामान्तकरण संख्या

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

1027 दिनांक 09.11.2020 प्रक्रियाधीन है, जिसके उल्लेख जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के अन्तर्गत भी किया हुआ है, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 व 6 का वादग्रस्त खसरा नंबरान् की भूमि में 1/8 हिस्से के अलावा प्रतिवादी संख्या 5 के 1/10 हिस्से को सम्मिलित करते हुए हिस्सा निहित है, प्रतिवादी संख्या 5, प्रतिवादी संख्या 4 व 6 की माता है, जिन्होंने अपने पुत्रों की सेवा सुश्रुषा व माता के प्रति आदर सम्मान से प्रसन्न होकर पंजीकृत हक–त्या गपत्र दिनांक 24.09.2020 प्रतिवादी संख्या 4 व 6 के पक्ष में निष्पादित किया है। इसके अलावा वादीगण ने अवैधानिक तरीके से प्रतिवादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 7 का वादग्रस्त भूमि में हिस्सा निहित होने का उल्लेख किया है, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 व 7 का स्वर्गवास हो चुका है, परन्तु वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 व 3 का 1/60 हिस्सा होना सही अंकित किया है। दिनांक 30.12.2020 को प्रतिवादीगण न तो मौके पर किसी प्रकार से भू–माफिया लोगो को लेकर आये और ना ही कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ किया, वादीगण ने तहसील में चलकर तकासमा कराने की कोई बात नहीं की और ना ही प्रतिवादीगण ने तथाकथित तौर पर वादीगण को कोई धमकी दी, परन्तु वादीगण ने प्रतिवादीगण को नाजायज तरीके से हैरान परेशान करने की नीयत से मद संख्या 3 में सारे तथ्य मिथ्या एवं कपोल कल्पित अंकित किये है, ऐसी परिस्थितियों में वर्तमान वाद प्रस्तुत करने हेतु कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ। यदि राजस्व अभिलेख में वर्णित हिस्से के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 व 6 को अपने 1/8 हिस्से के अलावा प्रतिवादी संख्या 5 के हकत्याग पत्र दिनांक 24.09.2020 के आधार पर 1/10 हिस्से सहित विधिक विभाजन की डिक्री पारित की जाती है तो प्रतिवादी संख्या 4 व 6 को कोई ऐतराज नहीं है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 4 व 6 का वादोत्तर अभिलेख पर लिया जावे तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मय भारी हर्जे व खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे, फिर भी यदि राजस्व अभिलेख में वर्णित प्रतिवादी संख्या 4 व 6 को अपने 1/8 हिस्से के अलावा प्रतिवादी संख्या 5 के हकत्याग पत्र दिनांक 24.09.2020 के आधार पर 1/10 हिस्से सहित सरस व निरस भूमि के आधार पर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन की डिक्री पारित की जाती है तो प्रतिवादी संख्या 4 व 6 को कोई ऐतराज नहीं है।

विचाराधीन वाद में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के अधिवक्ता ने बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा किये जाने हेतु निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील उभयपक्ष की सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता संख्या नया 180 पुराना 159 के खसरा नंबर 1124 रकबा 0.0100 है0, 1125 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1126 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1134 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1140 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1141 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1143 रक़बा 0.22 हैक्टेयर, 1144 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1145 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 1146 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 1162 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1163 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 1164 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1165 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 1.92 हैक्टेयर वाकै ग्राम दहमीकलां पटवार क्षैत्र दहमीकलां, भू–अभिलेख निरीक्षे क्षेत्र ठिकरिया तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से स्पष्ट है कि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात के सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है जिनके मध्य आदिनांक तक विधिक तकासमा नही हुआ है। ऐसे में वाद में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे के अनुसार तकासमा किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता संख्या नया 180 पुराना 159 के खसरा नंबर 1124 रकबा 0.0100 है0, 1125 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1126 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1134 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1140 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1141 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1143 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 1144 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1145 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 1146 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 1162 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1163 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 1164 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1165 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 1.92 हैक्टेयर वाकै ग्राम दहमीकलां पटवार क्षैत्र दहमीकलां, भू–अभिलेख निरीक्षे क्षेत्र ठिकरिया तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का विधि सम्मत मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड व प्रतिवादी संख्या 5 के हकत्याग पत्र दिनांक 24.09.2020 बहक प्रतिवादी संख्या 4 व 6 के अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता व लगान कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवायें।

न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1472 दिनांक 10.02.2023 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की जो निम्नानुसार है :–

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड :–

| ग्राम का नाम | नाम खातेदारान् | खसरा नंबर | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| दहमीकलां | आशा देवी पत्नि स्व0 पप्पू हि0 | 1124 | 0.01 | गै0मु0चाह | |
| | 1/24 जाति रैगर सा0देह | 1125 | 0.30 | चा0ए | 13.20 |
| | किरण पुत्री पप्पू हि0 1/60, | 1126 | 0.30 | चा0ए | 13.20 |
| | गौरीशंकर पुत्र भींवा हि0 | 1134 | 0.03 | गै0मु0आबादी | |
| | 1/8, ज्याना पत्नि भींवा हि0 | 1140 | 0.14 | चा01 | 5.40 |
| | 1/10, नन्दकिशोर पुत्र भींवा | 1141 | 0.13 | चा01 | 4.48 |
| | हि0 1/8 नीतू पुत्री पप्पू हि0 | 1143 | 0.22 | चा01 | 7.92 |
| | 1/60, रजनी पुत्री पप्पू हि0 | 1144 | 0.08 | चा01 | 2.88 |
| | 1/60, रूपा पुत्र महादेव हि0 | 1145 | 0.07 | चा01 | 1.44 |
| | 1/2, नाबालिग लक्की पुत्र | | | जा01 | 0.54 |
| | पप्पू नाबालिग संरक्षक आशा | 1146 | 0.06 | चा01 | 1.80 |
| | देवी पत्नि पप्पू हि0 1/60 | | | जा01 | 0.18 |
| | नाबालिग संजय पुत्र पप्पू | 1162 | 0.16 | चा01 | 5.76 |
| | नाबालिग संरक्षक आशा देवी | 1163 | 0.17 | चा01 | 6.12 |
| | पत्नि पप्पू हि0 1/60, सुशीला | 1164 | 0.12 | चा01 | 4.32 |
| | पुत्री भींवा पत्नि बिरदीचंद हि0 | 1165 | 0.13 | चा01 | 4.68 |
| | 1/40 समस्त जाति रैगर | | | | |
| | सा0देह खातेदार | | | | |
| | योग | 14 | 1.92 | | 71.7600 |

प्रस्ताविक कुर्रेजात रिपोर्ट :–

| पक्षकार सं. | खातेदार का नाम | खसरा नंबर | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| | आशा देवी पत्नि स्व0 पप्पू | 1146 | 0.06 | चा. 1 जा.1 | 1.98 |
| | हि0 7/15, किरण पुत्री पप्पू | 1162 मि0 | 0.09 | चा. 1 | 3.24 |
| | हि0 2/15, नीतू पुत्री पप्पू | 1163 मि0 | 0.09 | चा. 1 | 3.24 |
| | हि0 2/15, लक्की पुत्र पप्पू | | | | |
| | हि0 2/15, संजय पुत्र पप्पू | | | | |
| | हि0 2/15, जाति रैगर | | | | |
| | सा0देह | | | | |

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | योग | 3 | 0.24 | | 8.46 |
| 2 | गौरीशंकर पुत्र भीवा हि0 1/7 ज्याना पत्नि भींवा हि0 4/35, नंदकिशोर पुत्र भींवा हि0 1/7, रूपा पुत्र महादेव हि0 4/7, सुशीला पुत्री भींवा पत्नि बिरदीचन्द हि0 1/35 जाति रैगर सा0देह | 1124 | 0.01 | गै0मु0चाह | |
| | | 1125 | 0.30 | चा. ए | 13.20 |
| | | 1126 | 0.30 | चा. ए | 13.20 |
| | | 1134 | 0.03 | गै0मु0आबादी | |
| | | 1140 | 0.14 | चा. 1 | 5.04 |
| | | 1141 | 0.13 | चा. 1 | 4.68 |
| | | 1143 | 0.22 | चा. 1 | 7.92 |
| | | 1144 | 0.08 | चा. 1 | 2.88 |
| | | 1145 | 0.07 | चा. 1 | 1.98 |
| | | | | जा. 1 | |
| | | 1162 मि0 | 0.07 | चा. 1 | 2.52 |
| | | 1163 मि0 | 0.08 | चा. 1 | 2.88 |
| | | 1164 | 0.12 | चा. 1 | 4.32 |
| | | 1165 | 0.13 | चा. 1 | 4.68 |
| | **योग** | **13** | **1.68** | | **63.30** |

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वास्ते आपत्ति नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें निवेदन किया गया कि प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री के विपरीत तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्थान राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के नियमों के विपरती होने से कुर्रेजात रिपोर्ट निरस्तनीय है। माननीय न्यायालय के निंर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.11.2021 की पालना में पक्षकारान् की अनुपस्थिति में, हल्का पटवारी व हल्का गिरदावर द्वारा तैयार की गई कुर्रेजात प्रस्ताव प्रारम्भिक डिक्री एवं निर्णय तथा विभाजन नियमों के विपरीत तैयार की है जो निरस्तनीय है। विवादग्रस्त आराजीयात का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड व प्रतिवादी संख्या 5 के हक त्याग पत्र दिनांक 24.09.2020 बहक प्रतिवादी संख्या 4 व 6 के अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग लगान व खाता कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। लेकिन तहसील सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव में हकत्याग पत्र से प्रतिवादी संख्या 4 व 6 को प्राप्त भूमि प्रतिवादी संख्या 4 व 6 के हिस्से में अंकित नही की। यहां यह भी उल्लेखनीय है प्रतिवादी संख्या 6 नन्दकिशोर द्वारा तहसीलदार के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर तथा हल्का

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

पटवारी के माध्यम से भी बार बार हकत्याग पत्र की प्रति पेश कर उक्त हकत्यागपत्र के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक करने पर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करने बाबत् निवेदन किया। लेकिन तहसीलर कारकूनान द्वारा हकत्याग के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक नही कर कुर्रेजात प्रस्ताव प्रेषित किये है जो माननीय न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री के अनुरूप नही होने के कारण प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव निरस्तनीय है। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रावधान के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादीगण को खसरा नंबर 1162 में दी गई भूमि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 जोत का विभाजन नियम 20 'ग' के विपरीत होने के कारण प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट निरस्तनीय है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति मय शपथ पत्र प्रेषित कर निवेदन है कि तहसील सांगानेर द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट को खारिज फरमायी जाकर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट उभय पक्षकारान की उपस्थिति में प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.11.2021 की अंनुपालना में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार तहसील सांगानेर से मंगवाई जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वकील वादी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब न देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष की सुनी गई। बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का मय कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अतः प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र अपोषणीय होने से खारिज किया जाकर तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

पटवारी के माध्यम से भी बार बार हकत्याग पत्र की प्रति पेश कर उक्त हकत्यागपत्र के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक करने पर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करने बाबत् निवेदन किया। लेकिन तहसीलर कारकूनान द्वारा हकत्याग के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक नही कर कुर्रेजात प्रस्ताव प्रेषित किये है जो माननीय न्ययालय द्वारा प्राथमिक डिक्री के अनुरूप नही होने के कारण प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव निरस्तनीय है। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रावधान के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादीगण को खसरा नंबर 1162 में दी गई भूमि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 जोत का विभाजन नियम 20 'ग' के विपरीत होने के कारण प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट निरस्तनीय है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति मय शपथ पत्र प्रेषित कर निवेदन है कि तहसील सांगानेर द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट को खारिज फरमायी जाकर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट उभय पक्षकारान की उपस्थिति में प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.11.2021 की अंनुपालना में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार तहसील सांगानेर से मंगवाई जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वकील वादी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब न देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष की सुनी गई। बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का मय कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अतः प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र अपोषणीय होने से खारिज किया जाकर तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

# अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** व इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

आशा **बनाम** किरण वगै.

**दावा बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

मुकदमा नम्बर – दावा/04/2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी 4 से 6 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ........ मुबलिग ........ बाबत् ........
........ खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ........ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ........ का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.04.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ........
सहायक कलक्टर
ओहदा जयपुर शहर द्वितीय

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | 00 | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | 00 | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | 00 | मीजान | | |

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय